गोलगप्पे खाने से बिगड़ी 73 बच्चों की तबीयत

उल्टी-दस्त और पेट दर्द की शिकायत, 1 दर्जन अस्पताल में भर्ती

न्यूज सर्विस/ नवज्योति, सीमलिया। सीमलिया क्षेत्र के ग्राम पोलाई खुर्द में मंगलवार को पानी-पतासी (गोलगप्पे) खाने के बाद 73 बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ने से गांव में हड़कंप मच गया। बच्चों को उल्टी, दस्त, पेट दर्द और घबराहट की शिकायत होने पर परिजनों ने चिकित्सा विभाग को सूचना दी। सीएचसी सीमलिया के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सौरभ नाटाणी ने बताया कि बुधवार सुबह सूचना मिलते ही एसडीएम अधिकारी दीपक महावर और बीसीएमओ डॉ. राजेश सामर मौके पर पहुंचे। बीसीएमओ ने 108 एम्बुलेंस सहित दो मेडिकल टीमों को पोलाई खुर्द रवाना किया। चिकित्सा दल ने गांव में शिविर लगाकर प्रभावित बच्चों काउपचार शुरू किया। जिन बच्चों की हालत गंभीर पाई गई, उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीमलिया भेजा गया, जहां करीब एक दर्जन बच्चों को भर्ती किया गया।

128 घरों का किया सर्वे

स्थिति पर नजर रखने के लिए एएनएम और आशा सहयोगिनियों की टीम ने गांव में घर-घर सर्वे शुरू किया। टीम ने 128 घरों का सर्वे कर प्रभावित बच्चों की पहचान और स्वास्थ्य परीक्षण किया। चिकित्सा विभाग की टीमें लगातार गांव में बिगराली बनाए हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि पानी-पतासी बेचने वाला व्यक्ति बाइक से मंगलवार को पोलाई खुर्द पहुंचा था, जहां बच्चों और महिलाओं ने उससे गोलगप्पे खाए।

कार-बाइक की भिड़ंत में तीन युवकों की मौत

कैटरिंग का काम कर लौट रहे थे घर, बीच रास्ते में ही थमीं सांसे

आसीद (भीलवाड़ा)। नेशनल हाइवे 158 भीलवाड़ा मार्ग पर गहरे गड्ढे से बचने के प्रयास में ब्राह्मणों की सेरी के पास बीती देर रात एक स्विफ्ट डिजायर कार बेकाबू होकर सामने से आ रही बाइक से टकरा गई। दुर्घटना में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि तीसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। तीनों भीलवाड़ा में कैटरिंग का काम कर अपने घर लौट रहे थे। पुलिस ने बताया कि पालड़ी निवासी 45 वर्षीय कमलेश कुमार बलाई पुत्र नारायण बलाई, बिहार निवासी भूरा उर्फ निजाम खान तथा मुजफ्फरपुर बिहार निवासी 45 वर्षीय बृजेश सहनी पुत्र भूषण सहनी भीलवाड़ा में कैटरिंग का कार्य करते थे। मंगलवार देर रात काम समाप्त कर तीनों एक ही बाइक से पालड़ी की ओर लौट रहे थे। रात करीब 2.30 बजे ब्राह्मणों की सेरी के पास पुलिया पर उनकी बाइक और सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर कार में भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कमलेश बलाई और भूरा उर्फ निजाम खान की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल बृजेश सहनी ने भीलवाड़ा अस्पताल ले जाया जाते समय रास्ते में उसने भी दम तोड़ दिया।

आसीद चिकित्सालय के बाहर जमा परिजन व मृतक कमलेश।

कमलेश की मौत की सूचना मिलते ही पालड़ी के ग्रामीण और मृतक के परिजन घटनास्थल और अस्पताल पहुंच गए। कमलेश बलाई चार भाइयों में सबसे छोटे थे। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया है जबकि ड्राइवर की तलाश की जा रही है। परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट में कार ड्राइवर पर लापरवाही से वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है। मामले में प्रकरण दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। एक साथ तीन युवकों की मौत से क्षेत्र में शोक छा गया।

कार की टक्कर से स्कूटी सवार दो दोस्तों की मौत

झुंझुनूं। जिल के गुढ़ागौडजी थानान्तर्गत मंगलवार देर रात एक स्विफ्ट कार चालक ने स्कूटी पर सवार दो युवकों को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार उछलकर गिर गये और स्कूटी कार के निचे फंस गई, लेकिन चालक ने कार नहीं रोकी व स्कूटी को करीब दो किलोमीटर ले गया जिसके बाद कार का टायर फटने से चालक कार को छोड़कर फरार हो गया। दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार हादसे में 35 संत कुमार सैनी और 41 जावेद की मौत हो गई है। संत किशोरपुरा निवासी था और होटल पर काम करता था। जावेद इस्लामपुरा का रहने वाला था और मजदूरी करता था। वे दोनों एक होटल पर खाना खाकर झुंझुनूं की तरफनिकले ही थे कि होटल से महज 100 मीटर की दूरी पर ही हादसा हो गया।

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.), अजमेर

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम घूघरा भू०अ०नि० गगवाना तहसील अजमेर जिला अजमेर की वर्तमान जमाबंदी सं0 2072-75 के खाता संख्या 638 के अनुसार निम्न भूमि मन्दिर श्री चतुर्भुज महाराज समस्त कायस्थान के नाम मन्दिर भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। दिनांक 02.02.2025 को समाचार पत्र दैनिक नवज्योति में उक्त मन्दिर भूमि को अवैध रूप से क्रय विक्रय किये जाने व अवैध रूप से प्रतिफल प्राप्त करने बाबत एक आम सूचना प्रकाशित की गई है। अतः हर आम व खास को उक्त आम सूचना के जरिये सूचित किया जाता है कि निम्न भूमि राजस्व रिकार्ड अनुसार मन्दिर भूमि होने से मन्दिर भूमि का किसी भी प्रकार से कय-विक्रय किया जाना कानूनी रूप से अवैध है। यदि उक्त मन्दिर भूमि बाबत किसी भी प्रकार का क्रय-विक्रय किया जाता है तो उसके विरुद्ध सक्षम स्तर से कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। जिसकी समस्त जिम्मेदारी उक्त कर्ता की रहेगी। सूचित रहें।

मन्दिर भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
638	1001/3908	0.02	बारानी द्वितीय	4695/990	0.0250	गैं. मू. रास्ता
638	2265	0.04	गैं. मू. चाह	933/4069	0.17	बारानी द्वितीय
638	2266	0.12	बारानी द्वितीय	934	1.67	बारानी द्वितीय
638	2267	0.13	बारानी द्वितीय	937/4070	0.43	बारानी द्वितीय
638	2268	0.10	बारानी द्वितीय	986	0.16	बारानी द्वितीय
638	2269	0.01	गैं. मू. चाह	987	0.90	बारानी द्वितीय
638	2270	0.26	चाही तृतीय	988	2.05	बारानी द्वितीय
638	2271	0.28	चाही तृतीय	988/3777	0.10	गैं. मू. पाल
638	2272	0.20	बारानी द्वितीय	989	0.35	बारानी तृतीय
638	2272/3919	0.03	बारानी द्वितीय	990/3775	0.17	बारानी तृतीय
638	2273	0.07	बारानी द्वितीय	990/4071	0.62	गैं. मू. आबादी
638	2275	0.07	बारानी द्वितीय	993	0.07	बारानी द्वितीय
638	2276	0.11	बारानी द्वितीय	994	0.01	बारानी द्वितीय
638	2277	0.26	बारानी द्वितीय	995	0.05	बारानी द्वितीय
638	4691/990	0.03	गैं. मू. पाल	996	0.23	बारानी द्वितीय
638	4692/990	0.2150	गैं. मू. पाल	998	2.68	बारानी द्वितीय
638	4693/990	0.2150	गैं. मू. पाल	999	0.40	बारानी द्वितीय
638	4694/990	0.0250	गैं. मू. रास्ता	किता 35	12.27	

DIPR/C/-----/26/A/O

तहसीलदार अजमेर

DNA-464887

ब्लैक मनी और अवैध फंडिंग के शक में 50 फाइलें जब्त

जैसलमेर/ नवज्योति। पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के जैसलमेर जिले में संदिग्ध भूमि सौदों व अवैध फंडिंग को लेकर सुरक्षा व जांच एजेंसियों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद हरकत में आए इनकम टैक्स विभाग की 8 सदस्यीय टीम ने जैसलमेर के उप रजिस्ट्रार कार्यालय पर छापेमारी की। इस कड़ी कार्रवाई के दौरान टीम ने साल 2024-25 के दौरान हुए करीब 700 से 800 भूमि सौदों की रजिस्ट्रियों को खंगाला, जिनमें से शुरूआती तौर पर 50 संदिग्ध फाइलें जब्त की गई हैं। इन फाइलों के जरिए ब्लैक मनी के इस्तेमाल और सीमा पार या संदिग्ध स्त्रोतों से होने वाली अवैध फंडिंग की गहन जांच की जा रही है।

रडार पर उप रजिस्ट्रार कार्यालय

आयकर नियमों के मुताबिक, यदि किसी जमीन की रजिस्ट्री में 2 लाख रुपए या उससे अधिक का नकद लेन-देन होता है, तो उप रजिस्ट्रार कार्यालय के लिए इसकी सूचना सीधे इनकम टैक्स विभाग को देना अनिवार्य है। टीम इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है, कि जैसलमेर उप रजिस्ट्रार कार्यालय ने इस नियम का ईमानदारी से पालन किया या नहीं? कहीं अधिकारियों की मिलीभगत से नियमों को ताक पर रखकर बड़े नकद लेनदेन को छुपाया तो नहीं गया?

विद्युत संविदाकर्मी की करंट से मौत, ग्रामीणों का हंगामा

दौसा। जेवीवीएनएल संविदाकर्मी की करंट लगने से हुई मौत के बाद बुधवार को श्री रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय में ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित परिजनों ने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता परिवार के सदस्य को संविदा पर नौकरी देने और घटना की जांच की मांग को लेकर मुख्य मार्ग पर धरना देकर करीब साढ़े चार घंटे तक जाम लगाए रखा। जाम के कारण शहर की यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। जानकारी के अनुसार रलावता निवासी जेवीवीएनएल संविदाकर्मी अवतार गुर्जर को मंगलवार शाम कार्य के दौरान करंट लग गया था। गंभीर हालत में उन्हें श्री रामकरण जोशी राजकीय जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
Bank of Maharashtra
ONE FAMILY ONE BANK

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अंचल कार्यालय, जयपुर, 6वां तल,फॉर्चून हाईट्स, सुभाष मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर- 302001
फोन:-0141-2379903, 905; ई-मेल आईडी: legal_jai@bankofmaharashtra.bank.in; recovery_jai@bankofmaharashtra.bank.in
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल, 1501, शिवाजीनगर, पुणे-5

अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय नोटिस (परिशिष्ट - IV –A)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्ति का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों को तथा विशेष रूप से ऋणियों एवं जमानतदारों को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पास गिरवी/प्रभारित है, का कब्जा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहां है, जैसे है और जो कुछ भी है" के आधार पर ऋणी और जमानतदारों से बैंक ऑफ महाराष्ट्र की शेष राशि की वसूली के लिए दिनांक 18.08.2026 को प्रातः 11.00 बजे एवं दोपहर 3.00 बजे के मध्य बेचा जाएगा। ऋणी और जमानतदारों का विवरण, देय राशि, अचल संपत्ति का संक्षिप्त विवरण और उस पर ज्ञात भार, कब्जे का प्रकार, आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा इस प्रकार है:–

क्र. सं.	ऋणी/जमानतदार का नाम	बकाया राशि	सम्पत्तियों का पता	कब्जा प्रकार / शाखा नाम	आरक्षित मूल्य / धरोहर राशि जमा (ईएमडी)
1	1. जगदम्बा इंडस्ट्रीज (ऋणी) जरिये प्रो. श्री फतेह सिंह; एस 1 155 सिलोरा, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, फेज 1, किशनगढ़ अजमेर-305801 2. श्री फतेह सिंह पुत्र श्री कन्मा (प्रोपराइटर) बादर रैक के पीछे, राजारोही, किशनगढ़, अजमेर राजस्थान-305801	दिनांक: 03.06.2025 तक रु.24,47,201.44 + अनुषंघ की दर पर भविष्य का ब्याज/ उपार्जित ब्याज/आयत ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि, वसूली घटा कर, यदि कोई हो।	साम्यिक बंधकः सम्पत्ति के सभी अंश व हिस्से जो की फतेह सिंह पुत्र श्री कन्मा के नाम से एस-1, 155 सिलोरा, रीको इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, किशनगढ़ अजमेर 305801 (राज.) में स्थित है। सीमाएं:- उत्तर: 18.00 मीटर चौड़ी सड़क, दक्षिण: प्लॉट नं. एच-1-160, पूर्व: प्लॉट नं. एच-1-156, पश्चिम: प्लॉट नं. एच-1-154	सांकेतिक कब्जा / किशनगढ़	आरक्षित मूल्य- रू. 24,30,000/- (रुपये चौबीस लाख तीस हजार मात्र) और ईएमडी रू. 2,43,000/- (रुपये दो लाख तैंतालीस हजार मात्र)
2	1. मंडावत वालाजी माइंस एंड मिनरल्स (ऋणी) जरिये प्रोपराइटर श्री मुकेश कुमार शर्मा, खसरा नं. 1302/1 (पूर्वी भाग), इंडस्ट्रियल एरिया, ग्राम घोरडा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर, राजस्थान - 305403, अन्य पता 23, विप्र कॉलोनी, वंशिणी भाग, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-302029, 2. श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र जगदीश शर्मा (प्रोपराइटर) 23, विप्र कॉलोनी, वंशिणी भाग, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान-302029	दिनांक: 02.05.2023 तक रु.21,75,627.49/- + अनुषंघ की दर पर भविष्य का ब्याज/ उपार्जित ब्याज/आयत ब्याज साथ में आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि, वसूली घटा कर, यदि कोई हो।	साम्यिक बंधकः औद्योगिक पस्तिविन्यास भूमि के पूर्वी भाग पर स्थित फैक्ट्री के सभी अंश व हिस्से जो मेसर्स मंडावत वालाजी माइंस एंड मिनरल्स जरिये प्रोपराइटर श्री मुकेश कुमार शर्मा के नाम पर खसरा नं. 1302/1, रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, इंडस्ट्रियल एरिया, ग्राम घोरडा, तहसील सरवाड़, जिला अजमेर, राजस्थान- 305403 में स्थित जिसका कुल क्षेत्रफल 4747.50 वर्गमीटर है। सीमाएं की सीमाएं: पूर्वः अन्य भूमि, पश्चिमः अन्य भूमि, उत्तरः अन्य भूमि, दक्षिणः अन्य भूमि	सांकेतिक कब्जा / रामपुरा	आरक्षित मूल्य- रू. 30,00,000/- (रुपये तीस लाख मात्र) और ईएमडी रू. 3,00,000/- (रुपये तीन लाख मात्र)

बोली वृद्धि की राशि रूपये 20,000/- होगी और इसमें 10 मिनट का असीमित विस्तार (अनलिमिटेड एक्सटेंशन) शामिल होगा।

संपत्ति के निरीक्षण की तिथि और समयः- 12.08.2026 को सुबह 11:00 बजे से सायं 4:00 बजे के मध्य।

बोली जमा करने/ईएमडी और दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि और समयः 17/08/2026 सायं 05.00 बजे तक।

बिक्री की विस्तृत शर्तों और नियमों के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://bankofmaharashtra.bank.in/asset-for-sales-search और baknet पोर्टल (https://baanknet.com) का संदर्भ लें।

दिनांक 10.07.2026 स्थान:– किशनगढ़, अजमेर

गौरव कुमार प्राधिकृत अधिकारी
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, संपर्क नंबर:9763923642

DNJ-464834

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्यालय: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

AAVAS SAPNE AAPKE SAATH HAMAARA

परिशिष्ट-IV-A नियम 8 (6) के लिए देखें अचल सम्पत्तियों के विक्रय के लिए विक्रय सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के शर्त व सपठित नियम 8 (6) के अन्तर्गत अचल सम्पत्तियों की ई–नीलामी विक्रय सूचना

आमजन को साधारण तथा ऋणी, सहऋणी व जमानतदार को विशेष रूप से इतद्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित बंधक अचल सम्पत्तियों का भौतिक कब्जा आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के नाम से ज्ञात जों कि आगे AFL सन्दर्भित किया जावेगा के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया था को "जैसे है जहां है" "एवं जो भी है जैसा भी है के आधार पर ई–नीलामी द्वारा निम्न तालिका में दर्शित बकाया राशि एवं भविष्य का ब्याज, लागत व शुल्क की वसूली हेतु विक्रय किये जाने का निर्णय लिया गया है। यह सूचित किया जाता है ई –नीलामी वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net के माध्यम से आयोजित की जावेगी।

ऋण खाता संख्या/ऋणी/ सह-ऋणी/ जमानतदार/ बंधकदाता का नाम	बकाया राशि दिनांक	13(2) नोटिस की दिनांक व राशि	कब्जा दिनांक	सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति का आरक्षित मूल्य	ईएमडी राशि	ई-नीलामी की तिथि व समय	ई-निविदा जमा करने की तिथि	ई-नीलामी निविदा खोलने व जमा कराने का स्थान	सम्पर्क सूत्र, संपत्ति विशिष्ट विवरण व समय
खाता सं.: 211222001990031 व 231222002963874 महावीर सिंह, श्याम कंवर, लवरारा सिंह राजावत	₹ 737410/- व ₹ 357978/- बकाया दिनांक 13 जुलाई 2026	06 दिसम्बर 2025 ₹ 647573/- व ₹ 327136/- बकाया दिनांक 05 दिसम्बर 2025	27 जून 2026	पट्टा नं. 39 ग्राम पंचायत-बच्चखेड़ा तहसील शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा राजस्थान क्षेत्रफल 1441.8 वर्ग फीट	₹ 1138430/-	₹ 113843/-	प्रातः11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 19 अगस्त 2026	18 अगस्त 2026 तक या इससे पहले	ग्राउंड फ्लोर, शॉप नं. 33, सेलबल एनक्लेव, पुराना बस स्टेण्ड, शाहपुरा, जिला- भीलवाड़ा-311401 राजस्थान -भारत	रमेश जाट- 9376045878 सम्पत्ति का दौरा करने की दिनांक 17 अगस्त 2026 प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक
खाता सं.: LNASH16422-230231167 & LNASH17022-230240400 रतनी रतनी, प्यारा सालवी जमानतदार: शान्ति लाल सुथार	₹ 391794/- व ₹ 200921/- बकाया दिनांक 13 जुलाई 2026	08 अप्रैल 2025 ₹ 332979/- व ₹ 192305/- बकाया दिनांक 07 अप्रैल 2025	11 जून 2026	पट्टा नं. 48 अलगयास पर स्थित ग्राम पंचायत भभाना तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा राजस्थान 311804 क्षेत्रफल 719 वर्ग फीट	₹ 862800/-	₹ 86280/-	प्रातः11 बजे से दोपहर 1 बजे तक दिनांक 19 अगस्त 2026	18 अगस्त 2026 तक या इससे पहले	शॉप नं. 1, अल्फाशर कॉम्पलेक्स, भीम रोड, चुंगी नाका, आसिन्द जिला-भीलवाड़ा-311301 राजस्थान -भारत	रमेश जाट- 9376045878 सम्पत्ति का दौरा करने की दिनांक 17 अगस्त 2026 प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक

ई–निलामी बिक्री के नियम और शर्तें:–

(1.) बंधक परिसंपत्ति की ई –नीलामी बिक्री AFL सुरक्षित लेनदार द्वारा "जैसा है, जहां है, "जैसा है वैसा, "जो कुछ भी है और" नो रिकोर्स के आधार पर की जायेगी उक्त सम्पत्ति पर कोई ज्ञात प्रभार नहीं है। (2.) ऑनलाइन ई –निलामी की बिक्री में भाग लेने के लिए, बोली दस्तावेज, पैन कार्ड की प्रतियां, कम्पनी और फोटो आईडी, कम्पनी के मामले में बोर्ड रिजोल्यूशन, पते का प्रमाण पत्र ईमाएल के साथ, जो ऐारटीजीएस/एनईएफटी/बीडी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड के नाम से देय है, चालू खाता संख्या 00548470000107 AAAVAS FINANCIERS LIMITED पंजीकृत एवं निगमित कार्याः 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर – 302020 IFSC कोड : HDFC0000054 में जमा करना आवश्यक है, एक बार ऑनलाइन बोली सबमिट करने के बाद, उसे वापस नहीं लिया जा सकता है। आगे बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत किसी भी ईएमडी को निम्नलिखित ईमेल आईडी पानी auction@aavas.in पर रद्द किए गए चेक की कॉपी के साथ ऐारटीजीएस/एनईएफटी/बीडी की यूटीआर/रेफरेन्स नंबर/बीडी नं. भेजने की आवश्यकता होगी। (3.) सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीकर्ताओं से अनुरोध किया जाता है कि ई–निलामी की बिक्री की कार्यवाही में भाग लेने, जानकारी और शर्तों के लिए वेबसाईट https://sarfaesi.auctiontiger.net & https://aavas.in/sarfaesi-sale-notices अवश्य देखें। ई –नीलामी, सहायता प्रक्रिया, ऑनलाईन प्रशिक्षण और अधिक जानकारी के लिए ई–मेल auction@aavas.in व ramprasad@auctiontiger.net , मोबाईल नं. 8000023297 पर सम्पर्क करें। (आवास सम्पर्क सूत्र : रमेश जाट– 9376045878, मोहम्मद कलीम–7849821425)

नोट:– यह सूचना पत्र ऋणी/जमानती/बंधककर्ता के लिये नियम 9(1) के अधीन 30 दिवस का सूचना पत्र माना जायेगा। यदि बैंक को देय राशि की अदायगी उनके द्वारा इस अवधि में नहीं की जाती है तो उक्त संपत्ति निविदा द्वारा उपरोक्त दिनांक पर विक्रय की जाएगी।

स्थान : राजस्थान दिनांक: 16.07.2026 प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

DNJ-464817

राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चेची, खण्ड बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक : संख्या/निविदा/2026-27/194 खुली निविदा सूचना दिनांक : 13.07.2026

खण्ड बेंगू के अधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चेची बेस लॉकिंग पर 24×7 टांसपोर्ट एम्बुलैंस मय ड्राइवर लेने हेतु एक वर्ष की अवधि के लिये इच्छुक एवं रजिस्टर्ड संवेदक / फर्म / संस्था से मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं जो दिनांक 17.07.2026 को दोपहर 12 बजे तक बैची जाकर 17.07.2026 को दोपहर 01 बजे तक प्राप्त की जायेगी। प्राप्त निविदाओं में से तकनीकी बिड को दिनांक 17.07.2026 को दोपहर 03 बजे खोला जायेगा।

NIB No. : MHS2627A187, UBN No. MHS2627SSOB02509

क्र.सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र शुल्क	अमानत राशि	विशेष विवरण
01	24×7 टांसपोर्ट एम्बुलैंस मय 02 ड्राइवर	600000 रुपए	500 रुपए	12000 रुपए	निविदा फॉर्म पोर्टल http://sppp.raj.nic.in से भी डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र शुल्क राशि 500 रुपए का डीडी संलग्न कर प्रस्तुत किया जा सकता है।

भरी हुई निविदा कार्यालय राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चेची खण्ड बेंगू जिला चित्तौड़गढ़ के पते पर प्रेषित की जाए। निविदाओं को अलग अलग लिफाफों में दोहरी बीड प्रणाली अनुसार प्रस्तुत करनी होगी। पहला लिफाफा तकनीकी बीड का होगा जिसके साथ निविदा में वांछित प्रपत्र / दस्तावेज एवं उपरोक्तानुसार अमानत राशि डी.डी. जो कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी चेची के नाम से होगा संलग्न करना होगा। दूसरा लिफाफा वित्तीय बीड का होगा। निविदा से सम्बन्धित जानकारी एवं शर्तें कार्यालय समय में कार्यालय में आकर तथा वेब पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है। उक्त दिनांक को अगर राजकीय अवकाश हो जाता है तो आगामी कार्य दिवस की दिनांक पर उपरोक्त निर्धारित समय अनुसार निविदा बेची, प्राप्त एवं खोली जाएगी।

पोर्टल http://sppp.raj.nic.in से डाउनलोड किये गये निविदा फार्म के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क 500 रु. का डी.डी. जो कि राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी चेची के नाम से पृथक से संलग्न करना अनिवार्य होगा। इसके अभाव में निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, चेची, खण्ड बेंगू, जिला चित्तौड़गढ़

DNA-7455

HDFC BANK
We understand your world

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
शाखा: बी-25, भगवान दास रोड, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर
टेलीफोन: 0141-6480799 CIN L65920MH1994PLC080618 Website: www.hdfcbank.com
रजिस्ट्रड कार्यालय: एचडीएफसी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल (वेस्ट), मुम्बई- 400013

सांकेतिक कब्जा सूचना

यह: अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एचडीएफसी बैंक लिमिटेड (पूर्वकेतरी एचडीएफसी लिमिटेड का दिनांक 17 मार्च 2023 के अनुरोध के तहत माननीय एनसीएलटी-मुंबई द्वारा अनुमोदित समामेलन योजना के अनुसार का एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के नाम विलय हो गया है) (एचडीएफसी) का प्राधिकृत अधिकारी होने हेतु जिसमें अधिनियमों का अधिनियमित और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग पत्र उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित ऋणियों/कर्जदारों वारिसों/कर्जदारों प्रतिनिधियों को निर्गमित किये, जिसमें सम्बन्धित मांग पत्रों से 60 दिवस के भीतर उक्त मांगों के समग्र धनिक राशियों का कुल भुगतान/अदायगी होने तक के संपार्श्विक ब्याजों, लागतों, शुल्कों इत्यादि का पूर्णभुगतान करने के लिए कहा गया था।

क्र. सं.	ऋणियों/कर्जदारों वारिसों एवं कर्जदारों उत्तराधिकारियों के नाम	कुल बकाया राशि	मांग सूचना की दिनांक	कब्जे की दिनांक	प्रतिभूत आस्ति(यों)/ अचल सम्पत्ति(यों) का विवरण
1.	श्री राजेश, पुत्र श्री रोकेश्वर श्री सीताराम यादवानी पुत्र श्री रोकेश्वर आयासी ब्लाक खाता सं. 64626851, 647201539, 648808041, 648079942 लूट आईडी: 212864	रु. 39,56,740/- दिनांक: 31-जनवरी, 2026 तक बकाया	12-Mar-2026	09-July-2026	प्लॉट "34", प्रेडुस कॉलोनी, गांव गोरसियावास, तहसील और जिला-अजमेर, राजस्थान; क्षेत्रफल लगभग 121.11 वर्गगज या 101.24 वर्गमी. सीमाएं:- पूर्व- अन्य का प्लॉट, पश्चिम-सरसा, उत्तर- अन्य का प्लॉट, दक्षिण -प्लॉट-बी

* लागू आगे का ब्याज, संपार्श्विक खर्चे, लागत, शुल्क इत्यादी जो दिनांक से भुगतान/ अदायगी की तिथि तक व्यय किये जायेंगे।

जिन पों उपरोक्त वर्णित ऋणियों/कर्जदारों वारिसों एवं कर्जदारों उत्तराधिकारियों द्वारा बकाया राशियों का भुगतान करने में असफल रहे तो उपरोक्त वर्णित ऋणियों/कर्जदारों वारिसों एवं कर्जदारों उत्तराधिकारियों को विशेष रूप से तथा आमजन को साधारणतया यह सूचना दी जाती है कि एचडीएफसी बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा उपरोक्त प्रतिभूत आस्तियों के अनुपालन में उक्त अधिनियम की धारा 13(4) तथा सपठित उक्त नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत उपरोक्त वर्णित दिनांक को सांकेतिक कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित ऋणियों/कर्जदारों वारिसों एवं कर्जदारों उत्तराधिकारियों को विशिष्ट रूप से तथा आमजन को साधारणतया कथित अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों में कोई भी व्यवहार या करने की चेष्टाओं से बचने हेतु तथा उक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों में किया गया कोई भी व्यवहार एचडीएफसी बैंक के प्रभार के अध्यधीन होगा। ऋणियों का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के बंधकन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 में उनकी तरफ से उपलब्ध वैधानिक का ओर आकृष्ट किया जाता है। आमजन साधारणतया को इसकेद्वारा की उपस्थिति अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास उपलब्ध है तथा कथित ऋणियों/कर्जदारों वारिसों एवं कर्जदारों उत्तराधिकारियों से प्रार्थना की जाती है कि वे किसी भी साधारण कार्य दिवस में कार्यालय घण्टों के दौरान सम्बन्धित प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता से प्राप्त कर लेवें।

हस्ताक्षर, प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
स्थान: अजमेर; दिनांक: 15.07.2026

DNJ-464835

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड
(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्याः 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

AAVAS SAPNE AAPKE SAATH HAMAARA

कब्जा नोटिस

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002" की धारा 13 (12) और सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम के नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में ऋणियों को मांग सूचना पत